न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 51 / 2023

जी.सी.एम.एस. नं.: 2023 / 126

1. सरला कुमारी पत्नी शंकर लाल जाति जाट निवासी अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.

—: वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी खानीसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राज.
2. मांगीराम पुत्र महीराम जाति बिश्नोई निवासी 3 जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
3. शंकर लाल पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी खानीसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राज.
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

—: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

1. **श्री ओम प्रकाश धायल, अधिवक्ता वादी**
2. **एकपक्षीय, प्रतिवादी सं. 1 से 3**
3. **राजपैरोकार**

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 30.04.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

1. वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया के नाम से वाके चक 3 जी.एम. के खाता संख्या 79 प.नं. 224 / 38 के मु.नं. 5 का किला नं. 22 / 2 में 0.228 है., 23 / 2 में 0.228 है. = 0.456 है. व प. नं. 224 / 39 के मु.नं. 12 का किला नं. 1 ता 5, 10 सालम—सालम = 1.518 है. इस प्रकार दोनो मुरब्बो में कुल 1.974 है. कमाण्ड खातेदारी भूमि है। जिस पर समस्त प्रकार के अधिकार वादिया में निहित है व जिसका वादिया उपयोग उपभोग करती आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 ओम प्रकाश के नाम से चक 3 जी.एम. का खाता संख्या 13 प.नं. 224 / 39 मु.नं. 12 का किला न. 6, 7, 14 ता 16, 23 ता 25 का कुल 2.024 है. कमाण्ड व प्रतिवादी संख्या 2 मांगीराम के नाम से चक 3 जी.एम. का खाता संख्या 57 प.नं. 224 / 31 मु.नं. 11 का किला नं. 15 / 1, 15 / 2, 16 / 1, 16 / 2, 17, 24 [illegible] 25 / 2 का 1.265 है. कमाण्ड मय खाला व प.नं. 224 / 32 [illegible] 5 / 2, 6 का 0.506 है. कमाण्ड मय खाला व प.नं. 224 / 39 [illegible] 12 का किला नं. 8, 9, [illegible] 13, 17 ता 22 का 2.783 है. कमाण्ड इस [illegible]कार कुल 4.554 है. कम[illegible] खाला व प्रतिवादी संख्या 3 शंकर लाल के नाम से चक 2 जी. एम. का खाता संख्या 48 प.नं. 224 / 47 मु.नं. 6 का किला नं. 1, 2, 8 ता 13, 19 ता 22 का

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:34:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

3.036 है. कमाण्ड खातेदारी रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 जो कि वादिया के खेत पडौसी है। प्रतिवादी संख्या 1 औम प्रकाश का रकबा जो कि वादिया के रकबा मु.नं. 12 के किला नं. 4 व 5 के चिपता है प्रतिवादी संख्या 1 ने वादिया के किला नं. 4 व 5 की दक्षिण दिशा में अवैध कब्जा कर रखा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 का रकबा वादिया के किला नं. 10 के चिपता पड़ता है प्रतिवादी संख्या 2 ने किला नं. 10 के पूर्व व दक्षिण दिशा में अवैध कब्जा कर रखा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 का रकबा जो कि वादिया के किला नं. 5 के चिपता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने वादिया के किला नं. 5 के पूर्व दिशा में अवैध कब्जा कर रखा है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वादिया के खातेदारी काश्त के रकबा में अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है। जबकि उक्त भूमि वादिया की खातेदारी भूमि है। उस पर हर प्रकार के अधिकार वादिया में निहित है। वादिया ने कभी अपने अधिकारों का हस्तान्तरण नहीं किया है न ही कभी अतिक्रमण हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। वादिया को उक्त अपने रकबा प.नं. 224/39 के मु.नं. 12 के किला नं. 4, 5 व 10 में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा अवैध अतिक्रमण करने की जानकारी होने पर वादिया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से मिली और उन्हे किला नं. 4, 5 व 10 वादिया का खातेदारी काश्त का होना बता कर प्रतिवादीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण के बारे में बताया और प्रतिवादीगण को वादिया का रकबा खाली करने का कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने वादिया के रकबा पर से अपना कब्जा हटाने व वादिया को कब्जा सुपुर्द करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। जिस पर वादिया ने आज से करीब एक माह पूर्व मौतबीर व्यक्तियों की पंचायत लेकर अतिक्रमण हटाने कब्जा का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने पंचायत के समक्ष कब्जा हटाने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया व एलानिया धमकी दी कि वे किला नं. 4, 5, 10 पर अपने अतिक्रमण की गई जगह का कब्जा वादिया को सपुर्द नहीं करेगे बल्कि और अधिक भूमि पर कब्जा करेगे। बस यही तारीख बिनाए दावा बिनाए मुखास्मत है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह वादिया की खातेदारी भूमि पर कब्जा करे और उसके उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचाये। लेकिन प्र[illegible] संख्या 1 ता 3 ने कानून की अवहेलना कर अतिक्रमण [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को किला नं. 4, 5 व 10 के पाट पर अतिक्रमी घोषित करवाते हुए उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है। राजस्थान सरकार भू–धारक होने से आवश्यक पक्षकार है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। वाद–पत्र माननीय

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:34:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर तहरीर होकर पेश है व अन्दर मियाद है। वाद पत्र डिक्री करते हुए वाके चक 3 जी. एम. के खाता संख्या 79 प.नं. 224/39 के मु.नं. 12 के किला नं. 4, 5 व 10 के पार्ट पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को अतिक्रमी घोषित करते हुए कब्जा भूमि किला नं. 4, 5, 10 के पार्ट का वादिया के सपुर्द करवाने के आदेश पारित करने वादिया को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 से कब्जा सपुर्द किये जाने के रोज तक प्रचलित दर से ठेका राशि व क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाने खर्चा मुकदमा वादिया को प्रतिवादीगण से दिलवाया जाने प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित करने कि भूमि पर अन्य प्रकार से नया निर्माण करने से बाज व ममनू रहे हेतु आदेश पारित करने के लिए निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 पर विधिवत सम्मन तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 4 राजस्थान सरकार की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार श्रीविजयनगर जवाब प्रस्तुत कर राज्य सरकार के हित को सुरक्षित रखते हुए वाद का निर्णय करने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्रकरण में विवादित भूमि के संबंध में वर्तमान मौका व रिकार्ड की स्थिति की रिपोर्ट तलब की गयी जो कि तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/76 दिनांक 05.02.2025 के द्वारा प्राप्त हुई।

3. प्रकरण में निम्नांकित अनुसार विवाद्यक विरचित किये गये :

1) आया कि विवादित भूमि चक 3 जीएम खाता सं. 79 प.नं. 224/38 मु.नं. 5 कि.नं. 22/2, 23/2 प्रत्येक 0.228है., प.नं. 224/39 मु.नं. 12 कि.नं. 1 ता 5, 10 सालम कुल 1.974है. कमाण्ड वादी की खातेदारी भूमि है ?

वादी

2) आया कि वादी की खातेदारी भूमि में से मु.नं. 12 कि.नं. 4,5,10 की भूमि के पार्ट पर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 द्वारा अविधिपूर्ण कब्जा किया गया है, जिस कारण वादी प्रतिवादीगण को भूमि पर अतिक्रमी घोषित करवा बेदखल कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने एवं प्रतिवादीगण से क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है?

वादी

3) अनुतोष

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

4. वादी की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र वादी सरला कुमारी का पेश किया। शपथ पत्र पर ब्यान दर्ज किये जाकर वादी के द्वारा दस्तावेज प्रदर्श सं 1 से 5 प्रदर्श करवाये गये। बहस वकील वादी सुनी गयी। अधिवक्ता वादी अपनी बहस में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:34:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 से 3 के द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिस कारण वादी प्रतिवादीगण को स्वंय की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमी घोषित करवा बेदखल करवाने की विधिक अधिकारी है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है, इत्यादित कथन करते हुए वाद पत्र स्वीकार कर वांछित अनुतोष अनुसार डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया।

5. बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से परिशीलन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :–

तनकी सं. 1 : इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी के द्वारा दस्तावेज प्रदर्श सं. 1 प्रतिलिपि जमाबंदी चक 3 जीएम खाता सं. 79 प्रस्तुत की गयी है जिस अनुसार चक 3 जीएम के प.नं. 224/38 मु.नं. 5 कि. नं. 22/2, 23/2 प्रत्येक 0.228है., प.नं. 224/39 मु.नं. 12 कि.नं. 1 ता 5, 10 प्रत्येक 0.253है. कुल 1.974है. कमाण्ड भूमि वादी सरला कुमारी पत्नी शंकरलाल जाति जाट के नाम से खातेदार दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि वाद के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि वादीया की खातेदारी भूमि है। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 2 : इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा साक्ष्य में प्रदर्श सं. 1 से 4 वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम की जमाबंदीयों की प्रतियां प्रस्तुत की गयी है जिस अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम से चक 3 जीएम एवं 2 जीएम में भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदार दर्ज है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श सं. 5 प्रमाणित प्रतिलिपि दैनिक डायरी पटवार हल्का 8 जीएम गोमावाली दिनांक 11.05.2023 अनुसार पटवारी हल्का द्वारा दैनिक डायरी में दिनांक 11.05.2023 को चक 3 जीएम प.नं. 224/38, 224/39 रकबा 1.974है. के सीमाज्ञान किये जाने का अंकन किया गया है। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि सीमाज्ञान के बावजूद वादीया को उसकी भूमि का कब्जा नहीं मिला। रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन करने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 76 दिनांक 05.02.2025 का अवलोकन किया जिसमें अंकित है कि "प.नं. 224/39 के कि.नं. 1 ता [illegible] का सीमाज्ञान करने पर कि.नं. 5 में जरीब की 16 कड़ी (13.5 [illegible] कि.नं. 4–5 के दक्षिण दिशा में 22 कड़ी (18.15 एक)भूमि पर [illegible] काश्तकार औमप्रकाश का कब्जा है" अतः रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट है कि [illegible] वादी सं. 1 औमप्रकाश द्वारा वादीया की भूमि पर कब्जा है। चूंकि वादीया उक्त भूमि की खातेदार है व भूमि उपयोग उपभोग के अधिकार वादीया में निहित है इसलिए वे प्रतिवादी को उक्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:34:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर से बेदखल करवाने की अधिकारी है। परन्तु वादीया प्रतिवादी सं. 2 व 3 के विरूद्ध अपना वाद सिद्ध करने में असफल रही है। साथ ही वादीया द्वारा प्रतिवादीगण से प्रचलित दर से ठेका राशि व क्षतिपूर्ति राशि दिलाने हेतु निवेदन किया है परन्तु इस संबंध में वे किसी भी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे है। ऐसी स्थिति में यह तनकी आंशिक रूप से वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

7. **तनकी सं. 3 (अनुतोष)** : चूंकि तनकी सं. 1 को बहक वादी निर्णित किया गया है तथा तनकी सं. 2 को आंशिक रूप से बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित किया जा चुका है। विस्तृत विवेचन तनकीवार निर्णय में किया जा चुका है। निष्कर्षतः यह प्रमाणित है कि वादीया की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 बतौर अतिक्रमी की हैसीयत से काबिज है जिसकी पुष्टि तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से होती है। वादीया प्रतिवादी सं. 1 को अपनी खातेदारी भूमि से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है। तनकी सं. 2 के निर्णय में उल्लेखित विवेचन अनुसार वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—: आदेश :—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी सं. 1 को वादीया की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमी घोषित करते हुए आदेश दिया जाता है कि वे 15 दिवस के भीतर वादीया की खातेदारी भूमि चक 3 ज़ीएम के प.नं. 224/38 मु.नं. 5 कि.नं. 22/2, 23/2 प्रत्येक 0.228है., प.नं. 224/39 मु.नं. 12 कि.नं. 1 ता 5, 10 प्रत्येक 0.253है. कुल 1.974है. कमाण्ड पर से अपना अविधिपूर्ण कब्जा हटा लेवें तथा राजस्व पटवारी की उपस्थिति में वादीया को कब्जा सुपुर्द करें। तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेशित किया जाता है कि यदि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा 15 दिवस के भीतर वादीया की खातेदारी भूमि पर से अपना अविधिपूर्ण कब्जा नहीं हटाया जाता है तो बलपूर्वक प्रतिवादी सं. 1 को वादीया की खातेदारी भूमि से बेदखल करते हुए वादीया को उसकी [illegible] भूमि का कब्जा सुपुर्द करना सुनिश्चित करें। पर्चा डिक्री [illegible] को लिखवाया जाकर

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक [illegible] 04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:34:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner